WHEREAS

A. उधारकर्ता(गण) एवं सह-उधारकर्ता(गण) ने अपनी संपत्ति (आगे **"संपत्ति"** के रूप में संदर्भित, जिसका पूर्ण विवरण नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है) को ऋणदाता के पक्ष में सुरक्षा/बंधक के रूप में प्रस्तुत कर, ऋण सुविधा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

B. उधारकर्ता(गण) एवं सह-उधारकर्ता(गण) द्वारा की गई घोषणाओं, प्रतिज्ञाओं एवं आश्वासनों के आधार पर, इस करार में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए, ऋणदाता ने उक्त ऋण सुविधा स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है।

C. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त ऋण सुविधा के प्रतिफलस्वरूप, जमानतदार(गण) ने इस करार के अंतर्गत उधारकर्ता(गण) द्वारा सभी नियमों एवं शर्तों के समुचित पालन तथा ऋण की समय पर अदायगी की गारंटी देने का दायित्व स्वीकार किया है।

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ एवं व्याख्या
(DEFINITIONS & INTERPRETATION)

1.1 परिभाषाएँ इस करार में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
(a) **"प्रथम अनुसूची"**, **"द्वितीय अनुसूची"** तथा **"तृतीय अनुसूची"** से आशय इस करार से संलग्न क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियाँ हैं।
(b) **"ऋण (Loan)"** से आशय इस करार के अनुच्छेद 2.1 में उल्लिखित तथा प्रथम अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित ऋण से है।
(c) **"पुनर्भुगतान (Repayment)"** से आशय ऋण की मूलधन राशि, उस पर देय ब्याज, तथा इस करार के अंतर्गत ऋणदाता को देय सभी शुल्क, फीस, प्रीमियम, व्यय एवं अन्य बकाया राशियों के भुगतान से है। विशेष रूप से, इस करार के अनुच्छेद 2.9 के अंतर्गत निर्धारित अमोर्टाइज़ेशन भी इसमें सम्मिलित होगा।
"पूर्व-भुगतान (Prepayment)" से आशय ऋण का पूर्व-समापन (फोरक्लोज़र), समय से पूर्व पुनर्भुगतान अथवा आंशिक पूर्व-भुगतान है, जो उस समय लागू ऋणदाता की शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा।
(d) **"संपत्ति (Asset)"** अथवा **"उक्त संपत्ति"** से आशय वह वाहन अथवा मशीनरी है, जिसके संबंध में ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता(गण) को ऋण प्रदान किया गया है तथा जिसे ऋण की सुरक्षा हेतु ऋणदाता के पक्ष में हाइपोथेकशन किया गया है।
(e) **"ब्याज दर (Rate of Interest)"** से आशय इस करार के अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित ब्याज दर से है।
(f) **"किस्त (Instalment)"** से आशय द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक देय राशि से है, जो ऋण अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण के अमोर्टाइज़ेशन हेतु आवश्यक है।
(g) **"उत्तर-तिथि चेक (Post Dated Cheques / PDCs)"** से आशय उधारकर्ता तथा/अथवा सह-उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के पक्ष में जारी किए गए ऐसे चेकों से है, जिन पर संबंधित किस्त की देय तिथि के अनुरूप तिथि अंकित होती है।

1.2 "उधारकर्ता (Borrower)" शब्द, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उधारकर्ता(गण) एवं सह-उधारकर्ता(गण) दोनों को **संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी (jointly and severally)** माना जाएगा।
1.3 इस करार में जिन शब्दों अथवा पदों की विशेष रूप से परिभाषा नहीं दी गई है, उन्हें **General Clauses Act, 1897** अथवा उसके संशोधन / पुनःअधिनियमन के अंतर्गत प्रदान किए गए अर्थों के अनुसार समझा जाएगा।
1.4 एकवचन में प्रयुक्त शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित होगा तथा किसी भी लिंग का उल्लेख करने वाले शब्द सभी लिंगों को सम्मिलित करते हुए माने जाएंगे।

अनुच्छेद 2
ऋण, ब्याज आदि (LOAN, INTEREST, Etc.)

2.1 ऋण की राशि और अवधि
(a) ऋणदाता ने ऋणग्राही को उक्त संपत्ति के संबंध में खरीद हेतु ऋण देने पर सहमति दी है, जिसकी राशि प्रथम अनुसूची में दी गई है और यह इस करार में उल्लिखित शर्तों के अनुसार होगी।

(b) इस करार के अंतर्गत प्रदान किया गया ऋण उस अवधि के लिए होगा, जो प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है, और यह दूसरी अनुसूची में दी गई तिथि से प्रारंभ होगा।

2.2 ब्याज (Interest)
(a) प्रथम अनुसूची में उल्लेखित ब्याज दर (Customer IRR) लागू की जाएगी, जो तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शेष मूलधन पर मासिक गणना (monthly rests) के आधार पर होगी।
(b) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दंडात्मक शुल्क (penal charge) देय न की गई किस्त/किस्तों पर देय तिथि से लेकर भुगतान/संचयन तिथि तक लागू होगा।

2.3 ब्याज की गणना
(a) प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट ब्याज दर ऋण की अवधि में स्थिर रहेगी, जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक या अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश न दिया जाए। ऐसे मामले में, ऋणदाता अपनी विवेकानुसार ब्याज दर में संशोधन करने का अधिकार रखता है, उचित सूचना के साथ ऋणग्राही और सह-ऋणग्राही को सूचित किया जाएगा। ऋणग्राही इस संशोधित दर पर ब्याज भुगतान करने के लिए सहमत है।
(b) ऋणग्राही को ऋणदाता द्वारा केंद्रीय या राज्य सरकार को ब्याज (और/या अन्य शुल्क) पर लगाए गए किसी भी कर के लिए चुकाए गए या चुकाने योग्य राशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी। यह प्रतिपूर्ति ऋणदाता द्वारा अनुरोध किए जाने पर तत्काल की जाएगी।

2.4 ऋण वितरण का विवरण
ऋणग्राही ऋणदाता से ऋण वितरण का तरीका निर्धारित कर सकता है। हालाँकि, ऋणदाता को वितरण के तरीके को तय करने का विशेष अधिकार होगा, और इसे ऋणग्राही को वितरण के रूप में माना जाएगा। नई संपत्ति की खरीद पर, ऋणदाता अपनी विवेकानुसार राशि सीधे डीलर/निर्माता को भुगतान कर सकता है, और यह ऋणग्राही को वितरण के रूप में माना जाएगा। प्रयुक्त संपत्ति की खरीद पर, वितरण का तरीका ऋणदाता तय करेगा—मालिक/विक्रेता, डीलर, ऋणग्राही या अन्य व्यक्ति को—और यह ऋणग्राही को वितरण माना जाएगा।

2.5 वितरण का तरीका
ऋणदाता द्वारा ऋणग्राही को किए जाने वाले सभी वितरण चेक (क्रॉस्ड और "A/c Payee Only" अंकित), डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय बैंकिंग सिस्टम द्वारा स्वीकार्य अन्य विधियों से किए जाएंगे। ऐसे चेक या ट्रांसफर पर किसी भी प्रकार का संग्रह शुल्क ऋणग्राही वहन करेगा, चाहे चेक संग्रह/रियलाइजेशन में कितना भी समय लगे।

2.6 वितरण की शर्तें
(a) ऋणदाता किसी भी समय ऋण राशि का वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों:
(i) ऋण समझौता पूरी तरह से निष्पादित और ऋणदाता को सौंपा गया हो;
(ii) ऋणग्राही ने सुरक्षा बनाई हो, प्रमिसरी नोट और अन्य आवश्यक दस्तावेज ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित किए हों (अनुच्छेद 3 के अनुसार);
(iii) ऋणग्राही द्वारा किसी डिफॉल्ट की स्थिति न हो;
(iv) ऋणग्राही ने ऋण की किस्तों के लिए पोस्ट-डेटेड चेक / NACH फॉर्म प्रस्तुत किए हों;
(v) ऋणदाता द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज या जानकारी;
(vi) संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमतियाँ और मंजूरी;
(vii) कोई असामान्य या अन्य परिस्थितियाँ न हों जो ऋणग्राही के लिए अपने दायित्वों का पालन करना असंभव बना दें।
(b) इसके विपरीत, ऋणदाता ऋणग्राही और सह-ऋणग्राही को नोटिस देकर ऋण के आगे वितरण को निलंबित या रद्द कर सकता है यदि ऋण पूरी तरह वितरित नहीं हुआ हो।

2.7 ऋण की पुनर्भुगतान
(a) ऋण और ब्याज की पुनर्भुगतान किस्तों में होगी, जिनकी संख्या, देय तिथियाँ और राशि दूसरी अनुसूची में दी गई हैं। यह वितरण ऋणदाता के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा कि वह मांग पर पूरा ऋण और अन्य देय राशि वसूल सकता है।
(b) ऋणग्राही इस बात से सहमत है कि समय इस अनुबंध की आत्मा है।
(c) किस्त भुगतान संपत्ति की डिलीवरी से स्वतंत्र रूप से शुरू और जारी रहेगा, चाहे डीलर/निर्माता द्वारा संपत्ति दी गई हो या

नहीं, और चाहे ऋणग्राही को किसी प्रकार की कठिनाई, विवाद या शिकायत हो।
(d) ऋणग्राही को संपत्ति की कार्यशील स्थिति या मरम्मत की आवश्यकता से स्वतंत्र रूप से किस्त का भुगतान करना होगा, और ऋणदाता किसी भी स्थिति में संपत्ति की मरम्मत या प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(e) ऋणग्राही को नियमित किस्त भुगतान के लिए कोई नोटिस या स्मरण नहीं दिया जाएगा; यह पूरी तरह ऋणग्राही की जिम्मेदारी होगी।
(f) यदि कोई भुगतान देर से होता है, तो ऋणदाता दंडात्मक शुल्क (2.2(b)) वसूल सकता है। दंडात्मक शुल्क किस्त अनुसूची के पालन से उधारकर्ता को मुक्त नहीं करेगा।
(g) किस्त राशि या ब्याज पर विवाद होने पर भी उधारकर्ता भुगतान रोक नहीं सकता।

2.8 किस्त भुगतान का तरीका
(a) पोस्ट-डेटेड चेक / NACH / इलेक्ट्रॉनिक मोड / नकद / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट तिथियों पर भुगतान होगा।
(b) ऋणदाता किसी PDC/NACH या बीमा प्रीमियम चेक के प्रस्तुत करने से पहले नोटिस या स्मरण नहीं देगा।
(c) किसी भी चेक/फॉर्म का खो जाना, नष्ट होना, बैंक खाते के बंद होने के कारण न भुनना, आदि की स्थिति में उधारकर्ता ऋणदाता को आवश्यक विकल्प / चेक या अन्य भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।
(d) ऋणदाता द्वारा चेक/फॉर्म की प्रस्तुति में किसी भी विलंब से ऋणग्राही की जिम्मेदारी प्रभावित नहीं होगी।
(e-h) PDC/NACH की पहली और दूसरी प्रस्तुति पर शुल्क, यात्रा व्यय और अन्य शुल्क अनुसूची 1A के अनुसार उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाएंगे।

2.9 किस्तों का परिवर्तन और पुनर्निर्धारण
ऋणदाता उचित समझे तो किस्तों को संशोधित या पुनर्निर्धारित कर सकता है, और उधारकर्ता उस तारीख से नए अनुसूची के अनुसार भुगतान करेगा। उधारकर्ता द्वारा अनुरोध और ऋणदाता द्वारा स्वीकृति होने पर, उधारकर्ता संशोधित अनुसूची और शुल्क के अनुसार भुगतान करेगा।

2.10 उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और जमानतदार की संयुक्त और स्वतंत्र जिम्मेदारी
ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और ऋण राशि वितरण हेतु सह-उधारकर्ता और जमानतदार की स्वीकृति के आधार पर, ऋणग्राही, सह-उधारकर्ता और जमानतदार संयुक्त और स्वतंत्र रूप से ऋण, ब्याज और अन्य देय राशि के लिए उत्तरदायी होंगे। ऋणदाता को विवेकानुसार किसी एक या सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3
सुरक्षा (SECURITY)

3.1 चूंकि ऋणदाता ने ऋण देने या देने के लिए सहमति दी है, ऋणग्राही यहां ऋण, बकाया राशि और ऋणग्राही द्वारा ऋणदाता को देय अन्य राशि की सुरक्षा के रूप में संपत्ति को हाइपोथिकेट (hypothecate) करता है। यह संपत्ति, इसके सभी सहायक उपकरण, जोड़, सुधार, नवीनीकरण और परिवर्तन सहित **प्रथम अनुसूची (First Schedule)** के अनुसार ऋणदाता के लिए विशिष्ट **प्रथम चार्ज (First Charge)** के रूप में रहेगी।
यदि संपत्ति अभी खरीदी नहीं गई है या संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास पंजीकृत नहीं है, तो संपत्ति का विवरण लिखित रूप में ऋणदाता को सूचित किया जाएगा, जो इस समझौते का परिशिष्ट (Addendum) माना जाएगा। ऋणग्राही भविष्य में ऋणदाता के चार्ज को पूर्ण करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज और दाखिले करने के लिए सहमत है।
3.2 यह हाइपोथिकेशन (hypothecation) इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय या संपत्ति प्रदान किए जाने पर, जो भी पहले हो, तुरंत प्रभावी होगा।
3.3 ऋणग्राही द्वारा 3.1 अनुच्छेद में बनाए गए चार्ज, ऋण, शुल्क, ब्याज, खर्च, चार्ज और अन्य देय राशि के लिए सुरक्षा के रूप में रहेगा। यह चार्ज ऋणग्राही द्वारा अन्य अनुबंधों के तहत मिलने वाली राशि (Loan, Hire Purchase, Top-up Loan, Tyre Finance, Fuel Finance, Insurance Finance आदि) के लिए भी लागू होगा।
3.4 3.3 अनुच्छेद के अनुसार, यह चार्ज जारी रहेगा। ऋणग्राही की अनुरोध पर ऋणदाता प्रमाणपत्र / समाप्ति पत्र प्रदान करने तक, यह चार्ज ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही की जिम्मेदारी को कम नहीं करेगा।

3.5 यदि संपत्ति प्रदान नहीं की गई है या वाहन ऋणग्राही के नाम पर पंजीकृत नहीं है, तो उस वाहन का विवरण एक सप्ताह के भीतर लिखित रूप में ऋणदाता को देना होगा, और यह विवरण अनुसूची का हिस्सा माना जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि को विवरण उपलब्ध नहीं होने का तर्क देकर चार्ज अमान्य या निष्फल नहीं माना जा सकता।
3.6 ऋणग्राही को वाहन संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत करना होगा।
3.7 ऋणग्राही पुष्टि करता है कि वह संपत्ति के सभी विवरणों से अवगत है।
3.8 ऋणग्राही ने ऋण और ब्याज के लिए सुरक्षा रूप में प्रॉमिसरी नोट (Promissory Note) पर हस्ताक्षर किया है।
3.9 ऋणदाता आवश्यकता समझे तो ऋणग्राही से अतिरिक्त सुरक्षा, तीसरे पक्ष की गारंटी (Guarantee) आदि मांग सकता है। इसके लिए आवश्यक समझौते, प्रतिज्ञाएँ (Undertakings), दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) पर ऋणग्राही हस्ताक्षर करेगा। ऋणग्राही तब तक कोई भी समझौता रद्द नहीं कर सकता जब तक ऋणदाता को सभी बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता।

अनुच्छेद 4
भुगतान का विनियोजन (APPROPRIATION OF PAYMENTS)

4.1 ऋणदाता को ऋणग्राही से प्राप्त कोई भी भुगतान, बकाया ऋण के भुगतान के लिए, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित (appropriated) किया जा सकता है:
(i) पूर्व भुगतान पर प्रीमियम (Premium on prepayment);
(ii) खर्च, शुल्क और अन्य राशि;
(iii) उन खर्चों पर ब्याज;
(iv) सेवा शुल्क;
(v) ऋण समझौते के अनुसार ब्याज, अतिरिक्त ब्याज (Additional Interest) (प्रथम अनुसूची अनुसार), जिसमें:

- (a) सामान्य ब्याज, Customer IRR के अनुसार
- (b) शेष राशि बकाया ब्याज के लिए
  (vi) ऋण समझौते के अनुसार देय किस्तें (Installments);
  (vii) अन्य अनुबंधों के तहत बकाया राशि (Loan, Hire Purchase, Top-up Loan, Tyre Finance, Fuel Finance, Insurance Finance आदि), चाहे ऋणग्राही, सह-ऋणग्राही या गारंटर के रूप में हो।

अनुच्छेद 5
संपत्ति की लागत में ऋणग्राही का योगदान
(BORROWER'S CONTRIBUTION TOWARDS COST OF THE ASSET)

5.1 ऋणदाता द्वारा ऋण वितरण से पहले, ऋणग्राही को यह दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसमें दिखाया गया हो कि उसने अपने योगदान के रूप में संपत्ति की लागत का भुगतान डीलर / निर्माता / किसी अन्य व्यक्ति को किया है, साथ ही प्रोफार्मा चालान (Proforma Invoice) भी प्रस्तुत करना होगा।

अनुच्छेद 6
ऋणदाता के अधिकार (LENDER'S RIGHTS)

6.1 ऋणदाता के पास इस ऋण के संबंध में निम्नलिखित अधिकार हैं:
(a) इस समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय ईएमआई या अन्य बकाया राशि की पुनर्निर्धारण / पुनः अनुसूची (reschedule) करने का एकमात्र अधिकार होगा, और ऋणग्राही को सूचित किए जाने के बाद इस संशोधित अनुसूची के अनुसार सभी भविष्य की भुगतान करना अनिवार्य होगा।
(b) इस समझौते की किसी भी शर्त को संशोधित करने का एकमात्र अधिकार होगा, जिसमें ब्याज दर में संशोधन, ब्याज की चक्रवृत्ति (compounding) की आवृत्ति, भुगतान की क्रेडिटिंग का तरीका आदि शामिल हैं, बिना ऋणग्राही को कोई कारण बताये। ऋणग्राही सहमत है कि यह संशोधन लागू होने की तिथि से ऋणदाता के रिकॉर्ड में लागू होगा।
(c) संपत्ति जहां भी रखी गई है या उपलब्ध है, उसकी जांच, निरीक्षण और पुनः प्राप्ति (repossession) के उद्देश्य से प्रवेश करने का अधिकार होगा। यदि ऋणग्राही या कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश में बाधा डालता है, तो ऋणदाता का प्रतिनिधि संपत्ति वाले स्थान का ताला तोड़ने या दरवाजा खोलने का अधिकार रखता है।

6.2 ऋणदाता को अपने विवेकानुसार एक या अधिक रिकवरी एजेंट नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ताकि किसी भी बकाया राशि, देय या अन्य दायित्वों की वसूली की जा सके। यह अधिकार, शक्ति और उपाय कानूनी रूप से या इस समझौते के तहत ऋणदाता द्वारा रिकवरी एजेंट के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। ऋणग्राही इस नियुक्ति के अधिकार को स्वीकार करता है।
6.3 ऋणदाता रिकवरी एजेंट नियुक्त कर सकता है। ऐसे एजेंट RBI द्वारा निर्धारित आचार संहिता (Code of Conduct) का पालन करेंगे, जिसमें पहचान का खुलासा, उचित वसूली प्रथाओं का पालन और ऋणग्राही के साथ सम्मानजनक व्यवहार शामिल हैं। ऋणदाता की रिकवरी एजेंट नीति और आचार संहिता की जानकारी [https://www.ikffinance.com] [https://www.ikffinance.com/assets/pdf/policies/Code%20of%20Conduct%20for%20Recovery%20Team.pdf] पर उपलब्ध है। ऋणग्राही किसी भी समय इसका संदर्भ ले सकता है और मांग पर इसका भौतिक प्रति प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद 7
ऋणग्राही, सह-ऋणग्राही और गारंटर का प्रतिनिधित्व
(REPRESENTATION OF THE BORROWER, CO-BORROWER AND GUARANTOR)

7.1 वे इस समझौते में प्रवेश करने और इसे निष्पादित करने की कानूनी क्षमता रखते हैं।
7.2 वे किसी भी कानून, अधिनियम, निर्णय, डिक्री, आदेश, अनुबंध या अन्य किसी प्रावधान द्वारा इस समझौते के तहत कर्तव्यों को निभाने में प्रतिबंधित नहीं हैं।
7.3 इस समझौते के निष्पादन के बाद, यह ऋणग्राही, सह-ऋणग्राही और गारंटर के लिए वैध और बाध्यकारी होगा और इसे लागू किया जा सकेगा।
7.4 ऋणग्राही / सह-ऋणग्राही / गारंटर (यदि कंपनी हो) भारत के कानूनों के अंतर्गत वैध रूप से संगठित और अस्तित्वमान हैं और इस समझौते में प्रवेश करने का अधिकार रखते हैं।
7.5 यहां हाइपोथिकेट की गई संपत्ति पर कोई बंधन या ऋण (lien) मौजूद नहीं है।
7.6 उन्होंने सभी आवश्यक प्राधिकरण, अनुमोदन, सहमति, लाइसेंस और अनुमति प्राप्त की है जो इस समझौते, सुरक्षित दस्तावेजों और हाइपोथिकेट की गई संपत्ति से संबंधित हैं।
7.7 उन्होंने अपने द्वारा देय सभी कर और वैधानिक शुल्क का भुगतान किया है और किसी भी व्यक्ति से कोई मांग, दावा या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
7.8 ऋणग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि समझौते की अवधि में वाहन चलाने वाला व्यक्ति वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो।
7.9 ऋणग्राही / सह-ऋणग्राही / गारंटर के खिलाफ कोई भी मुकदमे, कार्यवाही या दावे लंबित नहीं हैं और न ही भविष्य में संभावित हैं (चाहे नागरिक, फौजदारी या अन्य)।

अनुच्छेद 8
उधारकर्ता की प्रतिबद्धताएँ / उत्तरदायित्व (COVENANTS / UNDERTAKINGS OF THE BORROWER)

8.1. उधारकर्ता:
(a) ऋण की पूरी राशि केवल इस समझौते की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी।
(b) सभी कानूनों, नियमों का पालन करना और संपत्ति से संबंधित सभी शुल्क और कर समय पर का भुगतान करना। संपत्ति का उपयोग, संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उधारकर्ता की होगी।
(c) संपत्ति हमेशा किसी भी बीमाकर्ता द्वारा अनुमोदित बीमा के साथ बीमित होनी चाहिए, जिसमें सभी जोखिम शामिल हों — आग, दंगे, नागरिक अशांति, बाढ़, और असीमित तृतीय पक्ष जिम्मेदारी जोखिम। बीमा पॉलिसी में ऋणदाता "beneficiary" के रूप में दर्ज होना चाहिए।
(d) प्राकृतिक आपदाओं या दैवी घटनाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, चोरी आदि के कारण संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की सूचना तुरंत ऋणदाता को देना।
(e) इस समझौते और हिपोथेक की गई संपत्ति से संबंधित सभी अनुमतियों, स्वीकृतियों और लाइसेंसों को प्राप्त करने और उनका पालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
(f) ऋणदाता की लिखित अनुमति के बिना संपत्ति को बेचना, पट्टे पर देना, हस्तांतरण करना, हिपोथेक करना या किसी भी प्रकार का अधिकार हस्तांतरित करना — प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से — अपराध और धोखाधड़ी माना जाएगा, जिससे ऋणदाता FIR/क्रिमिनल शिकायत दर्ज कर सकता है। हिपोथेक की गई संपत्ति उधारकर्ता के संरक्षण (Bailee) में रहेगी।

(g) ऋण अवधि के दौरान संपत्ति को अच्छी स्थिति में बनाए रखना और आवश्यक मरम्मत, सुधार और उन्नयन करना।
(h) यदि संपत्ति नई वाहन है, तो उसे 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना और हिपोथेक का उल्लेख RC में ऋणदाता के पक्ष में करना। पुरानी वाहन के लिए RC बुक में उचित हिपोथेक एन्डोर्समेंट सुनिश्चित करना।
(i) RC का प्रमाण उधारकर्ता ऋणदाता को प्रस्तुत करेगा।
(j) डुप्लिकेट RC बुक के लिए आवेदन केवल ऋणदाता की मंजूरी के साथ करें।
(k) संपत्ति को हुए नुकसान, चोरी, बीमा दावा, या RC/बीमा दस्तावेज़ खो जाने की सूचना तीन कार्यदिवसों के भीतर ऋणदाता को दें।
(l) संपत्ति पर लगाए गए सभी कर, मूल्यांकन, शुल्क और अन्य देनदारियाँ चुकाना और सभी रसीदें ऋणदाता को प्रस्तुत करना।
(m) ऋणदाता की लिखित अनुमति के बिना संपत्ति पर कोई जप्ती या बाधा सहन न करना। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण धोखाधड़ी माना जाएगा।
(n) सुरक्षा और हिपोथेक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ और कार्यवाही करना।
(o) तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी, सभी खर्च, कानूनी फीस, बीमा, संपत्ति की अधिग्रहण और बिक्री के खर्च के लिए उत्तरदायी रहना।
(p) किसी भी ऐसी घटना की तुरंत सूचना देना, जिससे समझौते की पूर्ति में देरी हो सकती है।
(q) PDC/NACH/चेक का समय पर भुगतान करना।
(r) सरकार को सभी करों और अन्य देनदारियों का भुगतान करना; वर्तमान में कोई बकाया नहीं।
(s) ऋणदाता को GPS, VTS, Telematics आदि के माध्यम से वाहन/संपत्ति की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना; इस पर विवाद न करना।
(t) ऋणदाता की आवश्यकता अनुसार क्रेडिट/AML/नियामक जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करना।
(u) ऋणदाता को जानकारी एकत्र करने, प्रोसेस करने, संग्रहित करने, उपयोग करने और साझा करने की अनुमति देना, केवल वैध उद्देश्यों के लिए।
(v) सभी डेटा हैंडलिंग कानूनी और RBI दिशानिर्देशों के अनुसार।
(w) स्टांप ड्यूटी और संबंधित शुल्क का भुगतान करना।
(x) गलत या भ्रामक जानकारी देने के कारण ऋणदाता को हुए किसी भी नुकसान या खर्च के लिए जिम्मेदार होना।
(y) LEI कोड प्राप्त करना, समय-समय पर नवीनीकरण करना और ऋणदाता को प्रतिलिपि देना।
(z) यदि उधारकर्ता NRI/OCI है, तो ऋण का उपयोग FCA नियमों के अनुसार सीमित उद्देश्यों के लिए करना।
8.2. उधारकर्ता ऋणदाता को वाहन/संपत्ति की वास्तविक समय और ऐतिहासिक स्थिति, ट्रैकिंग, टेलीमैटिक्स और डायग्नॉस्टिक जानकारी सीधे या किसी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से इकट्ठा करने की अनुमति देता है। यह ऋणदाता के हितों और ऋण वसूली के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 9
संपत्ति की कीमत में संशोधन (REVISION IN THE PRICE OF THE ASSET)

9.1. यदि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद संपत्ति की कीमत बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में कर्जदार (Borrower) को उस संपत्ति को इस संशोधित कीमत पर प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई राशि का भुगतान करना होगा। इस बढ़ी हुई कीमत के लिए कर्जदाता (Lender) किसी भी राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं होगा।
यदि कर्जदार डीलर/निर्माता से समय पर संपत्ति नहीं लेता, तो कर्जदार यह सुनिश्चित करेगा कि डीलर/निर्माता द्वारा भुगतान की गई राशि और उस पर लागू ब्याज (पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दर के अनुसार) Lender को प्राप्त हो। यह राशि Lender को मिलने के बाद भी, कर्जदार इस अनुबंध के तहत अन्य किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार रहेगा। ऐसा भुगतान मिलने के बाद ही यह अनुबंध समाप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद 10
वितरण (DELIVERY)

10.1. कर्जदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा कि वह उत्पादक, डीलर या किसी अन्य व्यक्ति से संपत्ति की डिलीवरी प्राप्त करे और उसकी गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस आदि की जांच करे। अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, कर्जदार Lender को संपत्ति की डिलीवरी लेने के बाद सूचित करेगा।
10.2. कर्जदार समझता है कि उत्पादन या डीलर से डिलीवरी में किसी भी प्रकार की देरी के लिए Lender जिम्मेदार नहीं होगा। EMI भुगतान संपत्ति की डिलीवरी ना होने या किसी अन्य कारण से रोक नहीं सकता।

अनुच्छेद 11
उपयोग (USE)

11.1. कर्जदार (या उसके एजेंट/सहायक) संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं करेगा जो:

- बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करे;
- केंद्र या राज्य कानूनों (जैसे वन, उत्पाद शुल्क, कस्टम्स, बिक्री कर, प्रतिबंध, अफीम, रेलवे संपत्ति, अवैध कब्जा, सोने का नियंत्रण) का उल्लंघन करे;
- अनुचित या अवैध तरीके से संपत्ति का उपयोग करे जिससे Lender को नुकसान हो।

11.2. कर्जदार संपत्ति का उपयोग केवल इस अनुबंध में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए करेगा और सभी खर्च अपने द्वारा वहन करेगा।

अनुच्छेद 12
बीमा और रखरखाव (INSURANCE AND MAINTENANCE)

12.1. कर्ज की सुरक्षा के लिए और Lender के हक को सुरक्षित रखने के लिए, कर्जदार अनुबंध पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद और अपने खर्च पर संपत्ति का व्यापक बीमा कराएगा, जिसमें आग, दुर्घटना, हड़ताल, दंगा, बाढ़ और अन्य संभावित जोखिम शामिल होंगे। बीमा प्रीमियम समय पर भुगतान करना कर्जदार की जिम्मेदारी होगी।
12.2. प्रत्येक बीमा पॉलिसी कर्जदार के नाम पर होगी और Lender के लिए 'loss payee' के रूप में एन्डोर्समेंट होगा। आवश्यक होने पर Lender के बैंकर्स के लिए भी एन्डोर्समेंट होगा।
12.3. कर्जदार संपत्ति का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत नहीं करेगा।
12.4. Lender, कर्जदार के behalf पर बीमा कर सकता है और प्रीमियम चुका सकता है। कर्जदार इस भुगतान की राशि तुरंत Lender को वापस करेगा। किसी भी कारण से Lender द्वारा भुगतान न होने की स्थिति में भी, कर्जदार अपनी जिम्मेदारी से विमा प्रीमियम चुकाने और संपत्ति को बीमित रखने के लिए उत्तरदायी रहेगा।
12.5. बीमा राशि पर पहला हक Lender का होगा। कर्जदार irrevocable authorization देता है कि Lender अपने हितों की रक्षा के लिए बीमा राशि का दावा कर सकता है।
12.6. किसी भी दुर्घटना या अन्य कारण से संपत्ति को हुए नुकसान की मरम्मत कर्जदार अपने खर्च पर तुरंत करेगा और बीमा क्लेम के लिए बिल प्रस्तुत करेगा। यदि कर्जदार पर कोई बकाया राशि नहीं है, तो Lender द्वारा प्राप्त बीमा लाभ सीधे कर्जदार को दिया जाएगा।

अनुच्छेद 13
डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ (EVENTS OF DEFAULT)

निम्नलिखित घटनाएँ **"डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ"** मानी जाएँगी:
13.1. यदि उधारकर्ता (Borrower) इस समझौते में वर्णित तरीके से कर्ज या कोई शुल्क, शुल्क या लागत का भुगतान करने में विफल रहता है, और कोई भी किस्त या अन्य बकाया राशि निर्धारित तिथि के बाद भुगतान नहीं की जाती है;
13.2. यदि उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता (Borrower/Co-Borrower) (यदि व्यक्ति हो या एक से अधिक में से कोई भी) की मृत्यु हो जाती है, या दिवालियापन/असफलता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है, या उनके/उनकी संपत्तियों पर रिसीवर, ट्रस्टी या समान अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई कदम उठाया जाता है;
13.3. यदि उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता (कॉर्पोरेट बॉडी या साझेदारी फर्म होने पर) के खिलाफ कोई तृतीय पक्ष संपत्तियों पर रिसीवर, ट्रस्टी या समान अधिकारी की नियुक्ति, विघटन, पुनर्गठन या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करता है, विशेषकर हाइपोथिकेटेड संपत्तियों पर;
13.4. यदि उधारकर्ता बिना ऋणदाता (Lender) की लिखित सहमति के हाइपोथिकेटेड संपत्ति बेचता, हस्तांतरित करता, उस पर बंधन डालता या अन्य किसी प्रकार का कब्ज़ा या अधिकार बनाता है;
13.5. हाइपोथिकेटेड संपत्ति के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना;
13.6. हाइपोथिकेटेड संपत्ति जब्त हो जाना, कब्ज़े में लेना या किसी अधिकारी द्वारा अधिनियमित करना;
13.7. हाइपोथिकेटेड संपत्ति के संबंध में कोई भी कर, शुल्क, कराधान या कानूनी औपचारिकता पूरी न करना;
13.8. संपत्ति का नुकसान, क्षति या उपयोग के लिए अनुपयुक्त होना, या संपत्ति के कारण किसी तीसरे पक्ष को शारीरिक चोट पहुँचना;

13.9. संपत्ति का नष्ट होना, बेचना, हस्तांतरण करना या किसी भी तरह नियंत्रण खो जाना;
13.10. उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता द्वारा 2.8 अनुच्छेद के तहत दिए गए PDCs/ECS/NACH का भुगतान रोकने के निर्देश देना;
13.11. उधारकर्ता द्वारा हाइपोथेक के साथ वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र Lender को न देना;
13.12. कोई भी परिस्थिति जो Lender के हितों को खतरे में डाल सकती हो;
13.13. उधारकर्ता द्वारा इस समझौते में निर्दिष्ट सभी संपत्तियों (पुराने और नए वाहन) का विवरण न देना;
13.14. उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता द्वारा इस समझौते के किसी भी नियम, शर्त, वचन या Lender को दी गई जानकारी गलत या भ्रामक पाए जाने पर;
13.15. अन्य कोई भी परिस्थिति जो Lender के हितों को खतरे में डालती हो;
13.16. उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता को दिवालिया घोषित किया जाना;
13.17. उधारकर्ता द्वारा Lender के साथ किए गए अन्य समझौतों में अपनी जिम्मेदारियों का पालन न करना;
13.18. उधारकर्ता बिना Lender की पूर्व लिखित सहमति के संपत्ति पर किसी भी चार्ज, हाइपोथेक, लीन या अन्य बंधन का प्रयास करना या दिखावा करना;
13.19. संपत्ति का किसी भी अवैध उद्देश्य या गतिविधि के लिए उपयोग किया जाना या किया जाने का आरोप।

अनुच्छेद 14
डिफ़ॉल्ट के परिणाम (CONSEQUENCES OF DEFAULT)

14.1.
(A) उपरोक्त किसी/सभी डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के घटित होने पर, ऋणदाता (Lender) को किसी कारण बताए बिना अपने विवेक से कभी भी कर्ज की वसूली का अधिकार होगा। ऐसी वसूली के बाद, उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता 10 दिनों के भीतर ऋणदाता को निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे:
(a) बकाया किस्तें;
(b) शेष अवधि की किस्तें, जो अगर समझौता पूरी अवधि तक चलता तो भुगतान की जानी थीं;
(c) दंड शुल्क (Penal Charge);
(d) सभी अन्य राशि और शुल्क, जिसमें डिफ़ॉल्ट के कारण बीमा प्रीमियम पर ब्याज और अन्य कर शामिल हैं।
(B) अत्यधिक परिस्थितियों में, जहां उधारकर्ता संपत्ति को छुपाने, बेचना या Lender की पहुँच से दूर रखने की संभावना हो, या संपत्ति का अवैध उपयोग करता हो, या संपत्ति का असामान्य क्षरण/घिसावट करता हो, या अन्य संपत्ति का उपयोग करता हो जो ऋणदाता को सुरक्षा प्रदान करती है, Lender को बिना नोटिस के संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा।
(C) इस समझौते के किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, Lender अपने विवेक से उधारकर्ता को पुनः किस्तों का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है, शर्तों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार, जिन्हें Lender निर्धारित करेगा।
14.2. नोटिस देने के बाद, Lender को संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा लेने और स्वयं या एजेंट के माध्यम से बेचने, स्थानांतरित करने या अन्यथा डील करने का अधिकार होगा, बिना अदालत के हस्तक्षेप के, ताकि सुरक्षा को लागू किया जा सके और बकाया राशि वसूली जा सके। Lender किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो उधारकर्ता को हो सकता है।
14.3. आपातकाल और उधारकर्ता की जानकारी/स्थिति न मिलने की स्थिति में, Lender को बिना किसी नोटिस के संपत्ति का कब्ज़ा लेने का अधिकार होगा।
14.4. उधारकर्ता को Lender द्वारा संपत्ति का कब्ज़ा लेने से रोकने या बाधित करने का अधिकार नहीं होगा। Lender के अधिकृत प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी और एजेंटों को असीमित प्रवेश का अधिकार होगा और संपत्ति जब्त करने के लिए गोदाम, गैराज या अन्य स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता जब्ती और बिक्री से संबंधित सभी शुल्क और खर्चों के लिए उत्तरदायी होंगे।
14.5. उधारकर्ता वसूली प्रक्रिया या सुरक्षा प्रवर्तन के लिए सहमत हैं:
(a) Lender आमतौर पर 7 दिनों का नोटिस देगा, जिसके बाद बकाया न चुकाने पर संपत्ति जब्त की जाएगी।
(b) जब्ती के बाद, Lender उधारकर्ता को बकाया चुकाने का मौका देगा।
(c) कब्ज़ा लेने के बाद 7 दिन का अंतिम नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें ब्याज, जब्ती शुल्क और अन्य शुल्क शामिल होंगे। चुकाने में विफल होने पर Lender सार्वजनिक/निजी नीलामी या अन्य माध्यम से संपत्ति बेच सकता है।
(d) बिक्री की तारीख पर Lender की बिक्री वैध और अंतिम मानी जाएगी, और उधारकर्ता कोई विवाद नहीं कर पाएगा।
(e) उधारकर्ता को संपत्ति पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलेगा यदि वह बिक्री से पहले पूरी बकाया राशि चुका देता है। प्रक्रिया RBI या अन्य नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार बदल सकती है।

14.6. संपत्ति का जब्ती RBI द्वारा जारी नियमों और कानून के अनुसार होगी, और Lender की नीतियों के अनुसार संपत्ति जब्त की जाएगी।
14.7. Lender, उसके एजेंट या अधिकारी किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, और उधारकर्ता Lender को किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
14.8. उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता द्वारा Lender को पूरी बकाया राशि चुकाने पर, Lender संपत्ति लौटाएगा। आंशिक भुगतान पर भी Lender अपनी शर्तों पर संपत्ति लौटाने का अधिकार रखेगा। उधारकर्ता सभी खर्चों और दस्तावेज़ों की डिलीवरी की पुष्टि करेगा।
14.9. Lender को सार्वजनिक नीलामी, निजी समझौता या अन्य माध्यम से संपत्ति बेचने/हस्तांतरण करने का अधिकार होगा। बिक्री से प्राप्त राशि निम्नलिखित क्रम में प्रयुक्त होगी:
(i) बकाया किस्तें;
(ii) शेष अवधि की किस्तें;
(iii) दंड शुल्क;
(iv) लागत, शुल्क, बीमा प्रीमियम, कर और अन्य राशि;
(v) ब्याज;
(vi) सेवा शुल्क;
(vii) अन्य अनुबंधों के तहत देय राशि।
अतिरिक्त राशि होने पर Lender उसे उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को लौटाएगा। Lender संपत्ति पर सुरक्षा प्रवर्तन के लिए स्वतंत्र रहेगा।
14.10. उधारकर्ता या सह-उधारकर्ता बिक्री की वैधता या Lender के कार्यों पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते।
14.11. Lender को संपत्ति की खोज, कब्ज़ा, सुरक्षा, बीमा, परिवहन और बिक्री से जुड़ी सभी लागतें उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता से वसूल करने का अधिकार है।
14.12. अनुबंध अधिनियम की धारा 151 के विपरीत, Lender या उसके अधिकारी संपत्ति में किसी भी हानि/क्षति/मूल्यह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
14.13. उधारकर्ता समझता है कि यदि कर्ज या किस्त का भुगतान विफल रहता है, तो Lender और/या RBI उधारकर्ता या उसकी कंपनी/फर्म/निदेशक/साझेदारों के नाम को डिफ़ॉल्टर के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं।
14.14. यदि उधारकर्ता डिफ़ॉल्ट करता है और खाता NPA घोषित होता है, तो सभी अन्य उधारकर्ता खातों को भी RBI दिशा-निर्देशों के अनुसार NPA माना जाएगा।

अनुच्छेद 14A
सह-उधारकर्ता के अधिकार (CO-BORROWER'S RIGHTS AGAINST BORROWER)

उधारकर्ता मानता है कि यदि सह-उधारकर्ता समझौता निपटाता है, तो उसे वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो Lender के पास उधारकर्ता के खिलाफ हैं।

अनुच्छेद 15
गारंटी की जिम्मेदारियाँ (GUARANTEE OBLIGATIONS)

15.1. ऋणदाता (Lender) द्वारा ऋणी (Borrower) को ऋण देने के बदले, गारंटर/गारंटर अस्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से निम्नलिखित गारंटी देता है:
(a) यह गारंटी देता है कि ऋणी अपनी इस ऋण समझौते के तहत ऋणदाता के प्रति देय दायित्वों का भुगतान और निर्वहन करेगा, जैसा कि इस समझौते की अनुसूची II में निर्धारित है। यदि आवश्यक हो, तो गारंटर, मुख्य देनदार के रूप में, मांग पर उक्त राशि का भुगतान करेगा।
(b) यह गारंटी देता है कि यदि इस समझौते के तहत डिफॉल्ट की कोई घटना घटती है, तो बिना किसी अन्य अधिकार या उपाय को प्रभावित किए, ऋणदाता को तुरंत और बिना किसी आपत्ति या विलंब के ऋणी की देयताओं का भुगतान करेगा, जिसमें ऋण, ब्याज और अन्य सभी शुल्क शामिल हैं।
(c) ऋणी द्वारा इस समझौते के तहत सभी शर्तों और नियमों का पालन करने की गारंटी देता है।
(d) यदि गारंटर इस गारंटी के आधार पर ऋणी की देय राशि का भुगतान नहीं करता है, तो वह मुख्य देनदार के रूप में ऋणदाता को किसी भी नुकसान, खर्च, दंड आदि के लिए प्रतिपूर्ति देगा।

15.2. गारंटर स्पष्ट रूप से सहमत है कि डिफॉल्ट की घटना होने का लिखित प्रमाण देने के अलावा किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। ऋणदाता के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र गारंटर के खिलाफ अंतिम साक्ष्य माना जाएगा।
15.3. ऋणदाता की मांग गारंटर के लिए अंतिम, बाध्यकारी और अनिवार्य होगी। किसी भी कारण से इस गारंटी का आंशिक प्रवर्तन गारंटर की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करेगा।
15.4. गारंटर ऋणदाता की पहली मांग पर बिना किसी शर्त या विरोध के तुरंत भुगतान करेगा।
15.5. यह गारंटी तब तक लागू रहेगी जब तक कि ऋणी और गारंटर की सभी देयताएँ पूरी नहीं हो जातीं। गारंटर की जिम्मेदारी ऋणी के साथ संयुक्त और अलग-अलग होगी।
15.6. गारंटर की जिम्मेदारी ऋणी की जिम्मेदारी के समान है, इसलिए उसे ऋणदाता के प्रति मुख्य देनदार माना जाएगा।
15.7. ऋणदाता की अनुमति के बिना किसी करार में बदलाव, ऋणी को मुक्त करना, या ऋणदाता की किसी कार्रवाई के कारण गारंटर को किसी भी परिस्थितियों में छूट नहीं मिलेगी।
15.8. गारंटर ऋणदाता को ऋणी द्वारा समझौते के नियमों का पालन न करने के कारण हुए सभी नुकसान, खर्च, दंड और वकील की फीस के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा।
15.9. ऋणदाता चाहे सुरक्षा लागू करे या नहीं, गारंटर की गारंटी लागू रहेगी।
15.10. ऋणदाता को गारंटर से बकाया राशि के खिलाफ सेट-ऑफ का अधिकार होगा और गारंटर के सभी खातों को जोड़ सकता है।
15.11. यदि ऋणी डिफॉल्ट करता है, तो ऋणदाता गारंटर की देय राशि का सेट-ऑफ कर सकता है।
15.12. गारंटर की जिम्मेदारी केवल तब समाप्त होगी जब ऋणी और/या गारंटर ऋणदाता को लोन, ब्याज और अन्य सभी शुल्क पूरी तरह चुका दें।
15.13. यदि आवश्यक हो, तो ऋणदाता के अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा अतिरिक्त गारंटी प्रदान की जा सकती है।

अनुच्छेद 16
पूर्व भुगतान (PREPAYMENT)

समझौते की तारीख से छह महीनों के भीतर पूर्ण या आंशिक पूर्व भुगतान नहीं किया जा सकता। यदि ऋणी पहले भुगतान करना चाहता है, तो ऋणदाता आंशिक पूर्व भुगतान/पूर्व समापन शुल्क के साथ अनुमति दे सकता है। भुगतान तभी प्रभावी होगा जब नकद जमा हो या चेक क्लियर हो जाए।

अनुच्छेद 17
सिक्योरिटाइजेशन / असाइनमेंट / सह-ऋण (SECURITISATION / ASSIGNMENT / CO-LENDING)

ऋणी, सह-ऋणी और गारंटर स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, पोर्टफोलियो को किसी भी बैंक/तीसरे पक्ष को आंशिक या पूर्ण रूप से सिक्योरिटाइज, बेच, असाइन या ट्रांसफर कर सकता है, और ऋणदाता अपने अधिकारों को बनाए रखते हुए ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर के खिलाफ सभी बकाया राशि की वसूली कर सकता है।

अनुच्छेद 18
ऋणदाता का एजेंसी नियुक्त करने का अधिकार (LENDER'S RIGHT TO APPOINT AGENCY)

ऋणी, सह-ऋणी और गारंटर स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता को किसी भी तीसरे पक्ष को नियुक्त करने और उसके माध्यम से किश्त/ब्याज/अन्य शुल्क वसूलने का पूरा अधिकार होगा। इसके लिए ऋणदाता अपने अधिकारियों/एजेंट्स के माध्यम से सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

अनुच्छेद 19
सेट-ऑफ और लीएन (SET-OFF AND LIEN)

19.1. इस समझौते की किसी भी अन्य शर्त के बावजूद, ऋणदाता (Lender) के पास ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही की सभी संपत्तियों पर नियंत्रण और लीएन (Lien) का अधिकार होगा। ऋणदाता के पास ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही के सभी खातों को संयोजित करने और उनके किसी अन्य खातों में मौजूद शेष राशि को इस समझौते के तहत देय राशि के विरुद्ध समायोजित करने का अधिकार होगा। जब तक इस समझौते के तहत ऋणदाता को देय राशि पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती, तब तक

ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही के खातों में समाप्ति संबंधित कागजात (termination papers) रोकने का अधिकार ऋणदाता के पास रहेगा।
19.2. ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर वे किस्त/शुल्क/फीस का भुगतान नहीं करते हैं, तो ऋणदाता के पास उनके खातों में मौजूद राशि को उस देय राशि के विरुद्ध सेट-ऑफ करने का अधिकार रहेगा, और यह अधिकार समझौते की समाप्ति या अन्य अधिकारों पर किसी प्रकार का असर नहीं डालेगा।

अनुच्छेद 20
नोटिस (NOTICES)

20.1. सभी नोटिस/संचार लिखित रूप में होने चाहिए।
20.2. ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही/गारंटर के संपर्क विवरणों (जैसे: पता, फोन नंबर, WhatsApp नंबर, ईमेल) में कोई बदलाव होने पर ऋणदाता को एक सप्ताह के भीतर लिखित रूप में सूचित करना होगा। सभी नोटिस, पत्र और अन्य दस्तावेज़ इस समझौते में उल्लिखित पते या ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही/गारंटर द्वारा प्रदान किए गए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट, कूरियर, ईमेल या WhatsApp आदि माध्यमों से भेजे जा सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए नोटिस 48 घंटे बाद प्राप्त माने जाएंगे; ईमेल/WhatsApp संदेश तुरंत प्राप्त माने जाएंगे।
20.3. सभी पत्राचार में समझौते का नंबर अवश्य उल्लेखित होना चाहिए।
20.4. सभी पत्राचार ऋणदाता के पते पर भेजे जाने चाहिए, जो इस समझौते के प्रस्तावना में दिया गया है।

अनुच्छेद 21
आंशिक अमान्यता (PARTIAL INVALIDITY)

यदि इस समझौते की कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए अमान्य या लागू नहीं की जा सकती है, तब भी समझौते के अन्य प्रावधानों या अन्य व्यक्तियों/परिस्थितियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमान्य प्रावधान को वैध और लागू प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो मूल उद्देश्य के सबसे करीब होगा।

अनुच्छेद 22
कानून, न्यायक्षेत्र और मध्यस्थता (LAW, JURISDICTION, ARBITRATION)

(a) इस समझौते से उत्पन्न सभी विवाद Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अनुसार मध्यस्थता (arbitration) द्वारा निपटाए जाएंगे। मध्यस्थ Sama (Odrways Solutions Pvt Ltd) या ऋणदाता के MD द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
(b) यदि मूल मध्यस्थ की मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश कार्य न कर सके, तो नया मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा और पिछली स्थिति से मध्यस्थता जारी रहेगी।
(c) मध्यस्थता स्थल – विजयवाड़ा या E-ADR द्वारा सुझाया गया स्थान।
(d) नियुक्त मध्यस्थ को हाइपोथेक की गई संपत्ति और अन्य सुरक्षा संपत्तियों पर निर्णय देने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 23
संपूर्ण समझौता (ENTIRE AGREEMENT)

यह समझौता (पहला और दूसरा शेड्यूल सहित) और ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही/गारंटर द्वारा ऋणदाता के पक्ष में किए गए या किए जाने वाले दस्तावेज़, पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते के रूप में मान्य होंगे।

अनुच्छेद 24
ऋणदाता द्वारा खुलासा (DISCLOSURE BY THE LENDER)

ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है और यह जानकारी किसी भी क्रेडिट ब्यूरो या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही इस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 25
अवधि और समाप्ति (TERM AND TERMINATION)

यह समझौता समझौते की तिथि से प्रभावी होगा और तब समाप्त होगा जब ऋणग्राही/सह-ऋणग्राही/गारंटर ऋण, ब्याज और अन्य सभी देय राशि ऋणदाता को पूरी तरह चुका देंगे।

अनुच्छेद 26
विविध प्रावधान (MISCELLANEOUS)

26.1. भाषा (Language)
पक्षों के बीच सभी पत्राचार और संचार अंग्रेज़ी और/या स्थानीय भाषा में किया जाएगा।

26.2. संशोधन (Amendments)
इस समझौते की किसी भी शर्त में कोई संशोधन या बदलाव, ब्याज दर में परिवर्तन (लेख 2, 2.3) या किश्तों का पुनर्निर्धारण/समायोजन (लेख 2, 2.9) को छोड़कर, केवल लिखित रूप में और कर्जदाता, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता द्वारा सही ढंग से हस्ताक्षरित होने पर ही वैध और बाध्यकारी होगा।

26.3. संचयी अधिकार (Cumulative Rights)
इस समझौते के तहत कर्जदाता को दिए गए सभी उपाय, चाहे वे यहाँ वर्णित हों या किसी विधि, नागरीक कानून, सामान्य कानून, रिवाज, व्यापार या प्रथा द्वारा प्राप्त हों, वैकल्पिक नहीं हैं और इन्हें क्रमशः या एक साथ लागू किया जा सकता है।

26.4. ऋण समझौते का लाभ (Benefit of the Loan Agreement)
यह ऋण समझौता प्रत्येक पक्ष और उसके उत्तराधिकारी, वारिस, प्रशासक या प्रबंधक के लिए बाध्यकारी और लाभकारी होगा।

26.5. अधिकारों के प्रयोग में विलंब (Delay in Exercising Rights)
कर्जदाता को मिलने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में विलंब या इसे प्रयोग न करना, उस अधिकार, शक्ति या उपाय को कमजोर नहीं करेगा और न ही इसे किसी छूट या दोष को मानने के रूप में लिया जाएगा।

26.6. संयुक्त और अलग-अलग देयता (Joint and Several Liability)
कर्जदाता, सह-उधारकर्ता और गारंटर की देयता संयुक्त और व्यक्तिगत दोनों है। किसी एक पक्ष को मुक्त करने से अन्य की देयता समाप्त नहीं होगी।

26.7. ऋण समझौते का हस्तांतरण (Liability after Assignment)
कर्जदाता या सह-उधारकर्ता द्वारा इस ऋण समझौते या इसके लाभ को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर भी वे देय रहेंगे।

26.8. सह-उधारकर्ता न होने पर (If Co-Borrower is not a Party)
यदि सह-उधारकर्ता नहीं है, तो संबंधित प्रावधान केवल कर्जदाता पर लागू होंगे। कर्जदाता यह दावा नहीं करेगा कि समझौता अमान्य है क्योंकि सह-उधारकर्ता इसमें शामिल नहीं है।

26.9. विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) का वर्गीकरण
कर्जदाता की पसंद या भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, कर्जदाता का खाता डिफ़ॉल्ट होने पर तुरंत SMA/NPA के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

SMA/NPA	आधार (Principal/Interest या कोई अन्य देय राशि)
SMA-0	1–30 दिन
SMA-1	31–60 दिन
SMA-2	61–90 दिन
NPA	यदि किसी किश्त/मुख्य राशि या ब्याज की देय तिथि से 90 दिन से अधिक बकाया हो

अपग्रेडेशन (Upgradation): NPA से बाहर केवल तभी किया जाएगा जब सभी बकाया किश्तें और अन्य देय राशियाँ चुका दी गई हों और खाता अद्यतन हो गया हो।

अनुच्छेद 27
स्वीकृति (ACCEPTANCE)

कर्जदाता, सह-उधारकर्ता और गारंटर यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने सभी प्रावधानों को समझने के बाद यह समझौता किया है।

अनुच्छेद 28
इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल दस्तावेज़ों का निष्पादन (EXECUTION OF ELECTRONIC / DIGITALIZED DOCUMENTS)

28.1. ऋण दस्तावेज़ों का निष्पादन रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, OTP, ई-सिग्नेचर, ईमेल पुष्टिकरण, लिंक आधारित स्वीकृति आदि का उपयोग किया जा सकता है।
28.2. कर्जदाताओं ने इस समझौते की शर्तों को पढ़कर और समझकर डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से अपनी पूर्ण स्वीकृति दी है, जिसे भौतिक हस्ताक्षर के समान मान्यता प्राप्त है।

अनुच्छेद 29
शिकायत निवारण (GRIEVANCE REDRESSAL)

29.1. कर्जदाताओं द्वारा उठाई गई सभी शिकायतें कर्जदाता द्वारा स्थापित नीतियों और लिखित सूचना के अनुसार संभाली जाएंगी।
29.2. ऋण उत्पाद से संबंधित किसी भी शिकायत, विवाद या कानूनी कार्रवाई के लिए कर्जदाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
29.3. कर्जदाता, सह-उधारकर्ता और गारंटर शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं और इसे समझते हैं। यह तंत्र https://www.ikffinance.com/fpc.php पर उपलब्ध है, और कर्जदाता, सह-उधारकर्ता और गारंटर इसे लेकर कोई आपत्ति या आरक्षण नहीं रखते।